

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: एफ10( )उप चुनाव/स्वा.शा./21/32/ दिनांक:- 06 /12/2021

अधिसूचना

चूंकि निम्नांकित सारणी में वर्णित जिले में उसके सम्मुख वर्णित नगर निकायों के रिक्त वार्डों के सदस्यों का उप निर्वाचन किया जाना है :-

सारणी

क्र.सं.	जिले का नाम	क्रम. सं.	नगर निगम/परिषद/ नगर पालिका का नाम	रिक्त वार्ड संख्या
1.	अलवर	1	नगर परिषद अलवर	24
2.	बून्दी	2	नगर पालिका केशोरायपाटन	19
3	जयपुर	3	नगर निगम जयपुर हैरिटेज	57
		4	नगर निगम जयपुर हैरिटेज	97
4	जालौर	5.	नगर पालिका भीनमाल	35
		6	नगर पालिका सांचौर	17
5	नागौर	7.	नगर पालिका मकराना	24
6	राजसमन्द	8.	नगर पालिका नाथद्वारा	24
7	सिरोही	9.	नगर परिषद सिरोही	29
8.	टौंक	10.	नगर परिषद टौंक	42
		11.	नगर परिषद टौंक	28

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18) की धारा 11 की उप धारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर, ऊपर वर्णित नगर निकायों के वार्डों के सदस्य पद के रिक्त स्थानों को भरने के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा मतदान की तिथि 21.12.21 (मंगलवार) नियत करती है, और ऊपर वर्णित नगरीय निकाय के रिक्त वार्डों के मतदाताओं से यह अपेक्षा करती है कि वह सदस्य पद के स्थानों को भरने के लिए उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार अपने वार्ड के लिये एक सदस्य निर्वाचित कर दें।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(दीपक सुन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

// 2 //

क्रमांक: एफ10( )उपचुनाव/स्वा.शा./21/ 3282-3330 दिनांक:- 06/12/2021  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिवालय जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज0 विभाग जयपुर।
03. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव/निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
05. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
06. जिला कलेक्टर, अलवर/जयपुर /जालौर/ नागौर/राजसमन्द/सिरोही /टौंक। बुंदी /
07. सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
08. निदेशक/अधीक्षक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राज0 जयपुर को राज. राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी असाधारण अंक दिनांक: 06/12/2021 में प्रकाशनार्थ।
09. निदेशक जनगणना विभाग, राज0 जयपुर।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
11. समस्त संबंधित आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका/जयपुर /अलवर/बूंदी /जालौर/नागौर/राजसमन्द/सिरोही/टौंक ।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
13. सुरक्षित पत्रावली ।

  
(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी